आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –56/2022
प्रभुनाथ चौधरी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
09.02.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–17148/2021 में दिनांक 09.02.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली के वाद संख्या–67/2018–19 आदेश दिनांक–26.07.2021 को पारति आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 09.02.2022 में अंकित है कि "The Revisional Authority shall decide the revision on merits, in compliance of the principles of natural justice. The Revisional Authority shall pass a reasoned and speaking order, within a period of 8 weeks from the date of fililng of the revision, copy whereof be supplied to the parties." उपर्युक्त के आलोक मे वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई एवं पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्त तथा विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना। वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महुआ के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक–16.05.2017 को 12:35 बजें अपराह्न में पुनरीक्षणकर्त्ता के दुकान की जाँच की गई। जाँच के क्रम में विक्रेता की दुकान बंद पाई गई। दुकान पर सूचना पट्ट नहीं लगा था। विक्रेता के उपस्थित नहीं होने के कारण पंजियों की जाँच नहीं की जा सकी। दुकान के बरामदे पर खाद्यान्न रखा हुआ था परन्तु खाद्यान्न के स्टॉक की जाँच पंजियों के नहीं रहने के कारण खाद्यान्न की जाँच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त विक्रेता के दुकान से संबद्ध कुल–29 उपभोक्ताओं का बयान लिया गया जिससे	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	स्पष्ट हुआ की विक्रेता के द्वारा जनवरी 2017 के बाद खाद्यान्न का उठाव करने के बावजूद खाद्यान्न का वितरण नहीं करना, निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेना एवं वजन कम देना उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में गलत प्रविष्टि करना जैसे आरोप के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ द्वारा अपने पत्रांक 220 दिनांक 16.05.2017 से अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ को विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने अपने ज्ञापांक 251/आ0 दिनांक 19.05.2017 के द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता से छः महीने के उठाव एवं वितरण पंजी के साथ कारण पृच्छा की गई, जिसके अनुपालन में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा दिनांक 24.05.2017 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के बाद पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने अपने ज्ञापांक 311/आ0 दिनांक 08.06.2017 के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ से पुनरीक्षणकर्त्ता के दुकान की जाँच करायी गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ ने दिनांक–13.06.2017 को पुनरीक्षणकर्त्ता की दुकान की जाँच की एवं पाया की दुकान पर कोई सूचना पट्ट नही था। उनके (पुनरीक्षणकर्त्ता) द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन करने से मना किया गया एवं कार्डधारीयों के राशन कार्ड में गलत प्रविष्टि पाया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ के उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पूनः अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ के कार्यालय ज्ञापांक 326/आ0 दिनांक 19.06.2017 से स्पष्टीकरण की माँग की गई। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा दिनांक 23.06.2017 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसपर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ से मंतव्य की माँग की गई, जिसमें सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ ने पुनरीक्षणकर्त्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए उनके अनुज्ञप्ति संख्या 02/2016 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का अनुशंसा किया। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने अपने ज्ञापांक 585 दिनांक 11.11.2017 द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता को वितरण पंजी एवं कैश मेमो जमा करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया जिसके अनुपालन में उन्होंने बताया की दिनांक 14.11.2017 को 11:00 बजे दिन में दुकान से संबंधित पंजी लेकर साईकिल से कार्यालय में जमा करने के दौरान कहीं गिर गया, जिसका सनहा दिनांक 16.11.2017 को अनुमंडल दंडाधिकारी, महुआ को दिया गया एवं उनके द्वारा सनहा एवं 16.05.2017 को जाँच के क्रम में 29 बयानकर्त्ता का शपथ पत्र संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने अपने ज्ञापांक 644 दिनांक 07.12.2017 से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ से सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई। प्रखंड आपूर्ति	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	पदाधिकारी, महुआ ने अपने पत्रांक 371 दिनांक 09.12.2017 के दौरान विक्रेता के स्पष्टीकरण पर अपना मंतव्य समर्पित किया जिसमें उल्लेखित किया गया की पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा दिनांक 16.05.2017 एवं 13.06.2017 को जाँच के दौरान कोई कागजात नहीं दिखाया गया था एवं अनुमंडल कार्यालय से भी पूछे गए स्पष्टीकरण के साथ कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया था। उक्त के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने अपने आदेश ज्ञापांक 666/आ0 दिनांक 13.12.2017 पुनरीक्षणकर्त्ता के अनुज्ञप्ति संख्या 102/2016 को रद्द कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्त्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5030/2018 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2018 के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली के न्यायालय में वाद संख्या 67/2018–19 दायर किया। समाहर्त्ता न्यायालय ने भी पुनरीक्षणकर्त्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपने मुखर आदेश दिनांक 26.07.2021 द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणर्त्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 17148/2021 दायर किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश दिनांक 09.02.2022 के आलोक में यह वाद दायर है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार विक्रेता के दुकान की जाँच की तिथि 19.05.2017 को अपने संबंधी के यहाँ शादी विवाह की बात चीत करने चले गये थे, जिस कारण से उक्त तिथि को दुकान बंद थी। उक्त आशय का सुचना विक्रेता के द्वारा सुचनापट्ट पर अंकित कर दिया गया था, हो सकता है किसी बच्चे के खेलने के क्रम में मिट गया हो, जिसके लिए विक्रेता क्षमा प्रार्थी है। जहाँ तक उपभोक्ता शिवन पासवान एवं अन्य उपभोक्ताओं के द्वारा फरवरी एवं मार्च का खाद्यान्न नहीं देने एंव राशन कम तथा कीमत अधिक लेने का बयान दिया गया है, उक्त के संबंध में विक्रेता के बार–बार सूचना देने के पश्चात् भी उन सभी बयानकर्त्ता उपभोक्ताओं द्वारा समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया जिस कारण से उन सभी उपभोक्ता का खाद्यान्न विक्रेता के भंडार में सुरक्षित था। पुनः उन सभी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति कर दी गई। दिनांक 13.06.2017 को विक्रेता की दुकान कि, की गई जाँच के संबंध में कहना है की विक्रेता निर्धारित मूल्य एवं सही वजन लेकर ही राशन/किरासन तेल की आपूर्ति करते है। साथ ही बयान दिये गये उपभोक्ताओं का शपथ पत्र संलग्न किया गया है, जिसमे बयानकर्त्ता द्वारा बताया गया की उन्हें जानकारी नहीं रहने के कारण जाँच पदाधिकारी के समक्ष गलत बयान दिया गया है। इनका	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(पुनरीक्षणकर्ता) यह भी कहना है कि दिनांक–14.11.2017 को दुकान से संबंधित पंजी लेकर कार्यालय आ रहे थे तो साईकिल से गिर गये एवं उनका सारा कागजात खो गया जिस कारण वे दुकान से संबंधित पंजी उपस्थापित नहीं कर पाये इस संबंध में वे सनहा भी दर्ज करवाये थे। विक्रेता के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) , आदेश 2016 के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अंत में सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया की निम्न न्यायालय के प्रासंगिक आदेश को विखंडित करते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार किया जाय।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, (आवश्यक वस्तु अधिनियम, मुजफ्फरपुर का कथन है कि जाँच के क्रम में कार्यावधि में दुकान बंद पाया जाना, विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न का उठाव करने के बावजूद फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2017 का अनाज सभी उपभोक्ताओं के बीच वितरण नहीं करना, निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में अनाज देना एंव उसकी कीमत निर्धारित मूल्य से अधिक लेना, किरासन तेल नियमित वितरण नहीं करना एवं बगैर खाद्यान्न की आपूर्ति किये उपभोक्ताओं का कूपन फाड़ लेना जैसे गंभीर अनियमितता बरती गयी है, जाँच पदाधिकारी को जाँचार्थ कागजात एंव पंजी उपलब्ध नहीं कराने तथा अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा बार–बार मांगे जाने के बावजूद दुकान से संबंधित पंजियों/कैशमेमो की मांग करने के बावजूद जमा नहीं करने का स्पष्ट अर्थ है कि विक्रेता के द्वारा ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016'' के प्रावधानों एवं अनुज्ञप्ति में अंकित शर्तो का उल्लंघन किया गया है। इस तरह निम्न न्यायालय का आदेश पूरी तरह से विधिसम्मत् है।

उभय पक्षों को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महुआ के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 16.05.2017 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच की गयी। जाँच में पायी गई अनियमितता के आलोक मे अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने अपने ज्ञापांक 251/आ0 दिनांक 19.05.2017 के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग किया गया। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण के बाद पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने अपने ज्ञापांक 311 दिनांक 08.06.2017 से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ से पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच कराई गयी, जिसमें फिर उन पर अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित हुआ। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने फिर से अपने

WEB COPY NOT OFFICIAL

ज्ञापांक 326/आ0 दिनांक 19.06.2017 से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसका अनुपालन पुनरीक्षकर्ता द्वारा किया गया। इसके बाद भी अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने अपने पत्रांक 585 दिनांक 11.11.2017 से उन्हें (पुनरीक्षणकर्ता) वितरण पंजी एवं कैशमेमो जमा करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया। पुनरीक्षणकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ ने उक्त स्पष्टीकरण पर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ से मंतव्य की मांग करते हुए अपने आदेश ज्ञापांक 666 दिनांक 13.12.2017 से उनके अनुज्ञप्ति संख्या 102/2016 को रद्द कर दिया। जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 5030/2018 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 13.09.2018 के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली ने पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नैसर्गिक न्याय के तहत अपने मुखर आदेश से उनके अपील आवेदन को खारिज किया गया है, जिससे उनके आदेश में कोई प्रक्रियात्मक/वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अप्रैल 17 के खाद्यान्न का उठाव दिनांक–15.05.2017 को किया गया लेकिन जाँच की तिथि 16.05.2017 तक विक्रेता के द्वारा जनवरी 2017 के बाद खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा 04 माह के सरकारी खाद्यान्न के कालाबाजारी की थी। उनके द्वारा कार्ड/कूपनधारको को निर्धारित मात्रा से कम किरासन तेल/खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही थी तो स्वाभाविक रूप से उस बचे हुए तेल/खाद्यान्न का उनके द्वारा दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित होता है, जो उनके कालाबाजारी में संलिप्तता को उजागर करता है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि दिनांक 19.05.2017 को अपने संबंधी के यहां शादी विवाह की बात करने चले गये थे, जिस कारण उनकी दुकान बंद थी, जो ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 15(i) के प्रतिकूल है। उक्त नियमावली के नियम 14(xii) में स्पष्ट अंकित है कि *अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचि–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूचि 09 में अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य के दुकान के कारोबार मे सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते है।* निर्धारित अवधि में हर हाल में दुकान खुली रखना है, लेकिन निरीक्षण में दुकान बंद पाये जाने पर तथा कागजात में गड़बड़ी उजागर

WEB COPY NOT OFFICIAL

नहीं हो इसलिए शादी विवाह में जाने, साईकिल से गिर जाने पर कागजात गायब होने का बहाना मात्र प्रतीत होता है। अब जहाँ तक उनके इस दावे का प्रश्न है कि उपभोक्ताओं को बार–बार सूचना देने के बावजूद उनके द्वारा (उपभोक्ता) समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया जिस कारण से उन सभी उपभोक्ताओं का खाद्यान्न विक्रेता के भंडार में सुरक्षित था एवं बयान दिये गये उपभोक्ताओं का शपथ पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें बयानकर्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें जानकारी नहीं रहने के कारण जाँच प्राधिकारी के समक्ष गलत बयान दिया गया है, यह उनके After thought को परिलक्षित करता है एवं इस आधार पर उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है। अब जहां तक उनके (पुनरीक्षणकर्ता) द्वारा यह कहा जाना कि दिनांक 14.11.2017 को कार्यालय साईकल से आते समय दुकान से संबंधित पंजी गिर गया एवं वे इसका सनहा दर्ज करवाये हुए हैं, के संबंध में उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ द्वारा दिनांक 19.05.2017 को स्पष्टीकरण के साथ दुकान से संबंधित पंजी लाने को कहा गया था, परन्तु वे (पुनरीक्षणकर्ता) दुकान से संबंधित पंजी उपस्थापित नहीं किये थे। उसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महुआ द्वारा उनके दुकान का पुनः जॉच किया गया, उस दिन भी उनके द्वारा पंजी नहीं दिखाया गया था, इससे स्पष्ट है कि उनके पास दुकान से संबंधित पंजी पूर्व से हीं नहीं था एवं उनके द्वारा दिनांक 14.11.2017 को दुकान के पंजी से संबंधित सनहा दर्ज कराये जाने की बात झूठा साबित हो जाता है। निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में अनाज देना एवं अधिक मूल्य पर खाद्यान्न का आपूर्ति करना, सूचना पट्ट प्रदर्शन नही करना, वरीय पदाधिकारी के द्वारा मांगे जाने के बावजूद दुकान से संबंधित पंजी उपस्थापित नहीं करना एवं राशन कार्ड में गलत प्रविष्टि करने जैसा उनका कृत्य **''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम 14(i),(iv),(v),(viii) एवं (x)** के प्रतिकूल एवं **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01** में पारित न्यायादेश के उल्लंघन का हो जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ के पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त   आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL